

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-५८०/७७-६-१९-एल.सी.-०२/१८
लखनऊ: दिनांक १३ अगस्त, २०१९

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019" प्रछायापित करने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-५८०/०१/७७-६-१९-एल.सी.-०२/१८ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/यू०पी०एस०आई०डी०सी०।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
10. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
11. गार्ड पत्रावली।

आजा से,
BL Ram
(बाबू राम)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019

प्रस्तावना—

इलेक्ट्रिक वाहन के बाजार में विश्व रस्तर पर विस्तार हो रहा है। जीवाश्म ईंधन की अत्यधिक मँग तथा इसकी उपलब्धता में तेजी से होती हुई कमी के कारण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर परिवहन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विद्युत आधारित गतिशीलता (मोबिलिटी) आवश्यक हो गयी है। नवम्बर 2016 में लागू किए गए पेरिस समझौते के अन्तर्गत भूमण्डलीय तापक्रम में वृद्धि (एलोबल वार्षिंग) तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे को नियंत्रित करने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने के प्राविधान किये गये हैं। मोटर वाहन उद्योग के विद्युतीकरण का लक्ष्य परिवहन प्रणाली को डीकार्बोनाइज करने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व में वृहद स्तर पर विकास कर रहे उद्योगों में से एक है तथा ऐसी आशा है कि इस सेक्टर के कारण विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को गति मिलेगी जिससे राष्ट्र / देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। वर्तमान में क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग अधिकांशतः प्रदूषण में वृद्धि करता है, अतः सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार का विस्तार हो रहा है तथा 2016 में इलेक्ट्रिक वाहनों के विश्व-व्यापी 7,50,000 से अधिक के विक्रय के नवीन पंजीकरण हुए हैं जोकि एक विश्व रिकार्ड है। सड़कों पर बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के परिणामस्वरूप सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग (आवेशित करने की) अवधारणा सुविधाओं का भी निरन्तर विस्तार हो रहा है। वर्ष 2016 में विश्वस्तर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध चार्जिंग सुविधाओं की वार्षिक वृद्धि दर इलेक्ट्रिक कारों के स्टॉक (भण्डार) की वृद्धि दर से अधिक थी।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में बड़ा विस्तार होने वाला है, जिससे वर्ष 2020 तक 30 लाख तथा 2030 तक 5 करोड़ होने का अनुमान है। लीडिंगम बैटरी के मूल्यों में तेजी से गिरावट के कारण इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते हो रहे हैं। भारत

में इलेविट्रिक वाहन भण्डारण अवसरों में (गीगा वाट में) वर्ष 2022 तक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में 44 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है। फिरकी तथा रॉकी माउन्टेन इस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान है कि भारत में परिवहन व्यवस्था में साझा इलेविट्रिक तथा सम्बंधित मोबिलिटी के उपयोग से वर्ष 2030 तक तेल आयात में ₹20 लाख करोड़ की बचत हो सकती है तथा कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग एक गीगा टन की कमी आ सकती है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2027 तक चार-पहिया इलेविट्रिक वाहनों की बिक्री आंतरिक दहन इंजनों (इण्टरनल कम्बर्स्टन इंजन--आईसीई) के विक्रय से अधिक हो जाने की सम्भावना है।

भारत में हाईब्रिड एवं इलेविट्रिक व्हीकल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नेशनल इलेविट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एन.ई.एम.पी.) के अन्तर्गत 2015 में फारस्टर एड्डोशन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ (हाईब्रिड एण्ड) इलेविट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया (एफ.ए.एम.ई.स्कीम) योजना को प्रारम्भ किया है जिससे पर्यावरणानुकूल वाहनों को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2020 से प्रारम्भ कर भारत में प्रतिवर्ष 60–70 लाख हाईब्रिड एवं इलेविट्रिक वाहनों के विक्रय के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिससे इलेविट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रचुर अवसरों का सृजन हो सके।

जनवरी 2018 तक भारत सरकार की एफ.ए.एम.ई. योजना के अन्तर्गत रु. 211.74 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है, जिससे 1.8 लाख वाहन सड़कों पर हैं, जिसके कारण 21.3 लाख लीटर ईंधन की बचत हुई है तथा प्रतिदिन 1.04 लाख किग्रा कार्बन डाईऑक्साइड की कमी हुई है। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग से प्रदूषणकारी उत्सर्जनों को रोकने हेतु निर्णय किया है तथा वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत हाईब्रिड अथवा इलेविट्रिक वाहनों के उपयोग की परिकल्पना की है।

1. उत्तर प्रदेश—लाभ की स्थिति

उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा उपमोक्ता बाजार होने के कारण राज्य में इलेविट्रिक वाहन बाजार के वृहद स्तर पर विकसित होने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा राष्ट्रीय सकल धरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत् का योगदान करता है। देश के शीर्ष पाँच विनिर्माण (मैन्यूफॉर्मिंग) प्रदेशों में से एक, उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग के सुदृढ़ आधार के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की देश में सर्वाधिक संख्या है।

1.1 उच्च—स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं

रणनीतिक रूप में स्वर्णिम चतुष्कोण (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल) पर स्थित, प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई—अड्डों से भली प्रकार जुड़ा हुआ है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ई.डी.एफ.सी.) का 57 प्रतिशत् आच्छादित क्षेत्र उत्तर प्रदेश से हो कर गुजरता है तथा देश के पूर्वी भाग से जोड़ता है। इसी प्रकार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (डब्ल्यू.डी.एफ.सी.) का 8.5 प्रतिशत् आच्छादित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। जेवर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई—अड्डा उत्तर भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई—अड्डा होगा।

एक्सप्रेस—वेज के राज्य के रूप में प्रसिद्ध, प्रदेश के यमुना एवं आगरा—लखनऊ एक्सप्रेस—वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। परिवहन सुविधाओं को और उन्नत करने हेतु पूर्वीचल तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस—वे विकसित किए जा रहे हैं, जिससे पूर्वी तथा मध्य भारत से निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। प्रयागराज को हल्दिया बन्दरगाह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग—1 एक अनुपम परियोजना है, जिससे प्रदेश पूर्वी बन्दरगाहों से जुड़ जाएगा। सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं से युक्त, उत्तर प्रदेश में नोएडा, बोडाकी तथा वाराणसी में मल्टी—मोडल लॉजिस्टिक्स/ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित हैं।

1.2 विशाल बाजार आधार

भारत की लगभग 16.5 प्रतिशत् जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, अतः ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए असीम अवसर हैं। देश में पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या की दृष्टि से 10.3 प्रतिशत् वाहनों (2012) के साथ राज्य तीसरे रैंक पर है। वर्ष 2010 से 2015 तक प्रदेश में वाहन पंजीकरण में लगभग 81 प्रतिशत् की वृद्धि दर्ज की गई है।

जहां इलेक्ट्रिक वाहन को प्रति किमी चलाने का मूल्य रु. 1 प्रति किमी है, वहीं पेट्रोल चालित वाहनों का प्रति किमी मूल्य लगभग रु. 5.5 है, जिससे यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक वाहन का परिचालन आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की संक्रमण प्रक्रिया के आलोक में एफ.ए.एम.ई योजना के अन्तर्गत 14,564 इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क पर उपयोग के साथ उत्तर प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा लाभार्थी है, जिसमें प्रमुख रूप से दो-पहिया वाहन (अधिकतम शक्ति/पावर 250 वॉट से अधिक नहीं) के बाद चार-पहिया (यात्री कारें-सीएमवीआर के अनुसार श्रेणी एम1) समिलित है।

भारत सरकार की एफएएमई इण्डिया योजना के अन्तर्गत मल्टी-मोडल इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पायलट परियोजना हेतु चिन्हित 10 नगरों में प्रदेश की राजधानी – लखनऊ भी समिलित है। ई-रिक्षा बाजार प्रदेश में पूर्व से ही प्रगति कर रहा है तथा दो-पहिया व चार-पहिया वाहनों में भी, प्रमुख रूप से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में धीरे-धीरे परिगमन होगा।

1.3 प्रमुख निवेश क्षेत्र

नोएडा औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्र एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र तथा राज्य की राजधानी लखनऊ सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं। एनसीआर में स्थित ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल उपकरणों/पुर्जों के मैन्युफैक्चरिंग हब का बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है, ग्रेटर नोएडा में इण्डिया यामाहा मोटर्स, होड़ा सिएल कार्स इंडिया, न्यू हॉलैण्ड एग्रीकल्चर / सीएचएन इत्यादि तथा लखनऊ में टाटा मोटर्स हैं। वर्ष 2016 में टाटा मोटर्स द्वारा हाईब्रिड इलेक्ट्रिक बसों का शुभारम्भ किया, जिसके लिए मॉड्यूल को लखनऊ प्लांट में डिजाइन किया गया था।

इसके अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ एवं झांसी अन्य निवेश क्षेत्र हैं, क्योंकि इन नगरों में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लघु मध्यम उद्यमों का विस्तृत आधार विद्यमान है। राज्य में बैटरी निर्माण के अन्य केन्द्र ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर आदि में स्थित हैं।

1.4 प्रमुख अवसर

**ऑटोमोबाइल तथा
ऑटोमोबाइल उपकरणों/पुर्जों
की मैन्युफैक्चरिंग— हाईबिल
इलेक्ट्रिक, प्लग-इन इलेक्ट्रिक
वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन
विनिर्माण तथा उपकरण, जैसे
मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक किटें
इत्यादि।**

**बैटरी एवं बैटरी के घटकों
का अनुसंधान तथा विकास
सहित विनिर्माण**

- चार्जिंग (आवेशित करने
की) अवस्थापना सुविधाएं**
 —तीव्र-गति चार्जिंग स्टेशन
 —मंद-गति चार्जिंग स्टेशन
 —बैटरी प्रतिस्थापन स्टेशन

2. नीति के विषय में

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 राज्य में इलेक्ट्रिक गतिशीलता (मोबिलिटी) को प्रोत्साहित करने तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है। यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन के प्रारंभिक अंगीकरण के साथ-साथ इस क्षेत्र में माँग का सृजन करने को भी बढ़ावा देती है। अतः इस नीति के तीन प्रमुख घटक हैं:-

- (1) विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग)
- (2) चार्जिंग अवस्थापना सुविधाएं
- (3) माँग का सृजन

यह नीति उ. प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की पूरक होगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अतिरिक्त परिवहन, ऊर्जा तथा नगर विकास विभाग की इस नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

2.1 नीति के उद्देश्य

- राज्य में हरित पर्यावरण के सूजन हेतु राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के अन्तर्करण को प्रोत्साहित करना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश को पसंदीदा गंतव्य के रूप में रखा पित करना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति पक्ष तथा मौंग पक्ष दोनों से रोजगार के अवसर पेदा करना।
- आंतरिक दहन (आईसी) इंजन से इलेक्ट्रिक वाहन में बदलाव के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- संक्रमण अवधि में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों तथा प्लग-इन-इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- राज्य में इलेक्ट्रिक गतिशीलता (मोबिलिटी) को बढ़ावा देने वाले उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन विकसित करना तथा विद्युत क्षमता व उपलब्धता में वृद्धि करना।
- उत्पादन चरण से निरसारण चरण तक बैटरी प्रबंधन हेतु एक सुदृढ़ एवं स्थाई परिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

2.2 नीति के लक्ष्य

1. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र में आगामी पाँच वर्षों की अवधि में ₹. 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना जिससे 50,000 रोजगार के अवसरों का सृजन सम्भवित हो।
2. 1000 इलेक्ट्रिक बसों (बीईवी / एफसीईवी) का प्रारम्भ तथा वर्ष 2030 तक चिन्हित किए गए 10 इलेक्ट्रिक वाहन नगरों में चिन्हित हरित

मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन हेतु 70 प्रतिशत् इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग।

3. वर्ष 2024 तक समस्त पारंपरिक वाणिज्यिक बेड़े एवं रसद वाहनों का उपयोग समाप्त करना तथा चिन्हित किए गए 10 इलेक्ट्रिक वाहन नगरों में माल परिवहन में 50 प्रतिशत् तथा वर्ष 2030 तक समस्त नगरों में इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी प्राप्त करना।
4. वर्ष 2024 तक समस्त वाहन वर्गों में संयुक्त रूप से लगभग 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करना।
5. निर्बाध इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतुआगामी पाँच वर्षों में न्यूनतम 5 गीगावॉट-घण्टे (जीडब्लूएच) क्षमता की उच्च घनत्व विद्युत भंडारण प्रणाली की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को स्थापित करवाना।
6. वर्ष 2024 तक 2 लाख तीव्र व मंद-गति के चार्जिंग स्टेशन तथा बैटरी प्रतिस्थापन/बदलने वाले (Swapping) स्टेशनों को स्थापित करना।

2.3 परिभाषाएं

2.3.1 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) का अभिप्राय उन समस्त मोटर-वाहनों (ऑटोमोबाइल्स) से है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के उपयोग से बैटरी, अल्ट्रा-कैपेसिटर्स अथवा फ्यूल सेल्स से चालित हों। इसमें समस्त 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एवं 4-व्हीलर हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचवीवी), इलेक्ट्रिक व्हीकिल-इन-प्लग (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) सम्मिलित हैं।

2.3.2 इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी का अभिप्राय उपरोक्त परिभाषित इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोगार्थ समस्त ऊर्जा भंडारण तंत्रों से है। इसमें लिथियम आयन बैटरी, निकल मेटल हाईड्राइड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, अल्ट्रा-कैपेसिटर तथा फ्यूल सेल्स (डायरेक्ट मेथनॉल, अल्कलाइन, फॉस्फोरिक एसिड, मोल्टन कार्बोनेट, सॉलिड ऑक्साइड एवं रिवर्सिबल फ्यूल सेल्स सम्मिलित हैं)।

- 2.3.3 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां/ यूनिट्स (ईबीएमयू)**—इस नीति के अन्तर्गत (अनुच्छेद 2.3.1 में) परिभाषित इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले समस्त विनिर्माण उद्यम इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों एवं रियायतों के लिए पात्र होंगे।
- 2.3.4 इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग अथवा एसेंबली इकाइयां/यूनिट्स (ईबीयूज़)**—इस नीति के अन्तर्गत (अनुच्छेद 2.3.2 में) परिभाषित इलेक्ट्रिक बैटरी अथवा पयूल सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले समस्त विनिर्माण उद्यम इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों एवं रियायतों के लिए पात्र होंगे।
- 2.3.5 सेवा प्रदाता इकाइयां**—ऐसी इकाइयां जो 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, कारों, बसों एवं 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को तीव्र/मंद-गति से चार्जिंग अथवा बैटरी प्रतिस्थापन/बदलने वाले (Swapping) स्टेशनों की सुविधा प्रदान करती हों। इस नीति के अन्तर्गत बैटरी को पुनरावर्तित करने वाली इकाइयां (Battery recycling units) भी सेवा प्रदाता इकाइयां मानी जाएंगी।
- 2.3.6 डिस्कॉम का अभिप्राय उत्तर प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों से है।** इसमें पाँच डिस्कॉम्स सम्मिलित हैं, यथा—पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि., पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि।
- 2.4 निवेश मानदण्ड**
- 2.4.1 मेगा एंकर परियोजना** एक एकीकृत परियोजना होगी, जिसमें ईवी पावरट्रेन असेंबली, प्रेस शॉप, बॉडी शॉप, ईवी बैटरी एसेंबली अथवा पयूल सेल एसेंबली, एसेंबली लाइन, पेंट शॉप इत्यादि होगी। परियोजना में या तो स्वयं या कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम मार्ग से एक ही परियोजना रथल पर न्यूनतम् रु. 1000

करोड़ का निवेश होना चाहिए तथा इसके द्वारा स्थापना के 3 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम रु. 200 करोड़ के निवेश से आनुषांगिक / सहायक (Ancillary) इकाइयों को स्थापित करवाना होगा।

2.4.2 एंकर इकाइयां

एंकर ईवीएमयू	भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (ओईएम), जो इस नीति में परिभाषित इलेक्ट्रिक बैटरी अथवा प्यूल सेल्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग अथवा एसेम्बली हेतु न्यूनतम रु.300 करोड़ का निवेश करते हैं एवं न्यूनतम 10 विक्रेता (वेण्डर) इकाइयों को उसी क्लरस्टर में स्थापित करवाते हैं।
एंकर ईबीयू	भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (ओईएम), जो इस नीति में परिभाषित इलेक्ट्रिक बैटरी अथवा प्यूल सेल्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग अथवा एसेम्बली हेतु न्यूनतम रु.300 करोड़ का निवेश करते हैं एवं न्यूनतम 10 विक्रेता (वेण्डर) इकाइयों को उसी क्लरस्टर में स्थापित करवाते हैं।

2.4.3 विक्रेता इकाइयां (वेण्डर यूनिट्स) (ईवीएमयू/ईबीयू)—ऐसी इकाइयां, जो उसी क्लरस्टर में स्थापित की गई हों, जिसमें एंकर ईवीएमयू अथवा एंकर ईबीयू स्थापित हों तथा विक्रेता इकाई अपने अंतिम उत्पाद का न्यूनतम 50 प्रतिशत् एंकर इकाई को सप्लाई करती हो।

2.4.4 वृहद् परियोजनाएं

वृहद् ईवीएमयू	<ul style="list-style-type: none"> बुन्देलखण्ड क्षेत्र में न्यूनतम रु. 200 करोड़ का स्थिर पूँजी निवेश अथवा न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों का सृजन। शेष उत्तर प्रदेश में न्यूनतम रु. 300 करोड़ का स्थिर पूँजी निवेश अथवा न्यूनतम 1500 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों का सृजन (बुन्देलखण्ड को छोड़ कर)।
वृहद् ईबीयू	रु. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक का स्थिर पूँजी निवेश अथवा न्यूनतम 1200 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों का सृजन

- 2.4.5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां—उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई अधिनियम 2006 (समय—समय पर संशोधित) के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसएमई की परिभाषा का अनुकरण करेगी, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अन्तर्गत अनुमन्य है। यह नीति ऐसी एमएसएमई इकाइयों हेतु प्रोत्साहनों को निर्दिष्ट करती है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र के भाग के रूप में पूर्जी/ उपकरणों तथा अंतिम उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग करती हैं। ये इकाइयां ईवीएमयू एवं/अथवा ईबीयू दोनों के लिए आपूर्तिकर्ता हो सकती हैं, अथवा मरम्मत व अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने वाली सेवा इकाइयां हो सकती हैं।**
- 2.4.6 अल्ट्रा/मेगा बैटरी संयंत्र—रु. 1000 करोड़ के न्यूनतम निवेश से पुनरावर्तित सुविधाओं (Recycling facilities) से एकीकृत बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग करने हेतु स्थापित ऐसे संयंत्र, जिनका वार्षिक उत्पादन 01 गीगावॉट-घण्टे (जीडब्ल्यूएच) अथवा उससे अधिक हो अथवा फ्यूल सेल मैन्यूफैक्चरिंग करने हेतु स्थापित ऐसे संयंत्र, जिनका वार्षिक उत्पादन 1.5 गीगावॉट-घण्टे (जीडब्ल्यूएच) अथवा उससे अधिक हो।**
- 2.4.7 सेवा इकाइयों हेतु मानदण्ड: सेवा इकाइयों हेतु निम्नलिखित मानदण्ड होंगे—**

मंद—गति चार्जिंग	न्यूनतम रु. 25 लाख के पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) से स्थापित, 10—50 किलोवॉट विद्युत स्तर पर प्रति घण्टा 15 किमी से अधिक किन्तु 80 किमी से कम चार्जिंग रेंज प्रदान करती हों।
तीव्र—गति चार्जिंग	न्यूनतम रु. 50 लाख के पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) से स्थापित, 50—150 किलोवॉट विद्युत स्तर पर प्रति आधा घण्टा 80 किमी से अधिक चार्जिंग रेंज प्रदान करती हों।
प्रतिस्थापन (Swapping)	न्यूनतम रु. 20 लाख के पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) से स्थापित, एक नगर में न्यूनतम पाँच

स्टेशन	पृथक रथानों पर बैटरी प्रतिस्थापन (Swapping), मरम्मत तथा अनुरक्षण की एकीकृत सेवाएं प्रदान करता हो।
--------	---

3. नीतिगत ढांचा

- 3.1 **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मैन्यूफैक्चरिंग परिक्षेत्र / पार्क**—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को ईवी मैन्यूफैक्चरिंग व ईवी बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग (ईवी सेल, इत्यादि सहित) के केन्द्र (हब) के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने की परिकल्पना की गई है। इस दिशा में मैन्यूफैक्चरिंग परिक्षेत्र तथा पार्कों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो अपशिष्ट निस्तारण, सीवेज उपचार, परीक्षण सुविधाओं इत्यादि सहित सामान्य अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित होंगे।
- 3.2 **ईवी मोबिलिटी**—प्रदेश के 10 नगरों, यथा— नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर तथा वाराणसी को आदर्श इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ईएम) नगर घोषित किया जाएगा, जहाँ ईवी, चार्जिंग तथा हाईड्रोजन रिफ्यूलिंग सुविधाओं एवं ईवी पारिस्थितिकी के अनुकूल बिल्डिंग कोड्स को चरणबद्ध रूप से अंगीकृत करने के लक्ष्य निर्धारित होंगे। प्रथम चरण में नवीन मोबिलिटी से संबंधित कार्यवाही के बिन्दुओं के वर्ष 2020 तक क्रियान्वयन हेतु नोएडा पायलट नगर होगा। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र में कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के अन्तर्गत प्रस्तावों का समर्थन करेगी।
- 3.3 **इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्था संक्रमण / परिवर्तन (Transition to EVs)**—आंतरिक दहनशील ईंधन से चालित वाहनों से ईवी वाहनों में परिवर्तन प्रक्रिया के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (एचईवी) को प्रोत्साहित करेगी तथा राज्य में एचईवी की मांग में वृद्धि को बढ़ावा देगी।

- 3.3.1 संक्रमण चरण में हाईब्रिड ईवी (एचईवी)**—एचईवी आंतरिक दहन इंजन प्रणाली (आईसीई) एवं विद्युत मोटर प्रणोदन (Propulsion) प्रणाली से संयोजित वाहन होते हैं। एचईवी का उपयोग न केवल पर्यावरण में वायु प्रदूषण को कम करता है अपितु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी सहायक होता है। अतः प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक राज्य में संक्रमण चरण की अवधि में एचईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी ताकि ईवी द्वारा आईसीई वाहनों प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। तत्पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा संक्रमण-प्रक्रिया को निर्बाध बनाने एवं प्रदूषण को कम करने हेतु फ्यूल सेल आधारित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। संक्रमण चरण में, प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन तथा माल परिवहन में ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
- 3.3.2 सार्वजनिक परिवहन**—सार्वजनिक परिवहन हेतु ईलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में वर्ष 2030 तक चरणबद्ध रूप से 1000 ईवी बसें प्रयुक्त की जाएंगी। वर्ष 2020 तक प्रथम् चरण में 25 प्रतिशत्, वर्ष 2022 तक द्वितीय चरण में शेष 35 प्रतिशत् तथा वर्ष 2030 तक तृतीय चरण में अवशेष 40 प्रतिशत् बसों को प्रयुक्ति किया जाएगा। इस संदर्भ में 10 आदर्श ईएम नगरों (इस नीति के अनुच्छेद 3.2) में हरित मार्गों को बढ़ावा दिया जाएगा, इन मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन में 70 प्रतिशत् ईवी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सरकारी निगमों, परिषदों तथा सरकारी एम्बुलेंस इत्यादि के अधीन समर्त सरकारी वाहनों को के सभी रूपों को वर्ष 2024 तक ईलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- 3.3.3 निजी परिवहन**—कम दूरी की यात्रा हेतु प्रदेश सरकार 2-व्हीलर ईवी टैक्सियों के उपयोग को बढ़ावा देगी तथा कैब्स, स्कूल बसों/वाहनों, एम्बुलेंस इत्यादि में विद्युत प्रौद्योगिकी के उपयोग

को प्रोत्साहित करेगी। इसके अतिरिक्त 10 आदर्श ईएम नगरों में परिवहन के इन माध्यमों में वर्ष 2024 तक 50 प्रतिशत् इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

3.3.4 माल परिवहन—प्रदेश सरकार माल परिवहन में ईवी को अपनाए जाने को बढ़ावा देगी तथा आदर्श ईएम नगरों (नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी आदि) में माल ढुलाई के 3—व्हीलर व 4—व्हीलर मिनी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करेगी। इन 10 आदर्श नगरों में प्रदेश सरकार वर्ष 2024 तक माल परिवहन हेतु 50 प्रतिशत् ईवी के उपयोग को लक्षित करेगी तथा वर्ष 2030 तक समस्त नगरों में ईवी का उपयोग किया जाएगा।

अंत में, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में ईवी बैटरी तथा चार्जिंग उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार हाइड्रोजन—पावर्डफ्यूल सेल तथा सौर ऊर्जा सेल्स के विनिर्माण को एक वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रोत्साहित करेगी।

3.4 चार्जिंग अवस्थापना सुविधाएं—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चार्जिंग अवस्थापना सुविधाओं को राज्य में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य (Viable) व्यवसायिक उद्यम के रूप में विकसित किया जाएगा।

3.4.1 राज्य में ‘चार्जिंग अवस्थापना सुविधाओं’ की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी।

3.4.2 विद्युत वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम) सरकारी भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में तीव्र एवं मंद—गति चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने में निवेश करेंगी। ये चार्जिंग प्लाइंट सरकारी तथा

निजी वाहन, दोनों के लिए सुलभ होंगे। डिस्कॉम 10 आदर्श ईएम नगरों (अनुच्छेद 3.2) में से प्रत्येक नगर में 100 डीसी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनायेंगे।

- 3.4.3** चार्जिंग अवस्थापना सुविधाओं को सार्वजनिक भवनों एवं सार्वजनिक रथानों में विकसित किया जाएगा तथा चार्जिंग आउटलेट व नियमित विद्युत आपूर्ति इत्यादि स्थापित करने के प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) डिपो, बस टर्मिनलों एवं बस स्टॉप में चार्जिंग स्टेशन होंगे। सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होंगे।
- 3.4.4** इसके अतिरिक्त अधिक धनत्व वाले प्रमुख राजमार्गों, यथा—यमुना एक्सप्रेस—वे एवं आगरा—लखनऊ एक्सप्रेस—वे तथा प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस—वे पर ईवी मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 50 किमी. पर तीव्र चार्जिंग स्टेशन, बैटरी प्रतिस्थापन/बदलने की अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 3.4.5** प्रदेश में नये अर्पाटमेंट, ऊँची इमारतों एवं टेक्नोलॉजी पार्कों को ईवी चार्जिंग की अवस्थापना सुविधाओं को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे समस्त कॉमर्शियल काम्प्लेक्सेज, आवासीय सोसाइटीज तथा आवासीय टाउनशिप्स, जिनका निर्मित क्षेत्र 5000 वर्गमीटर अथवा अधिक होगा उनको नवीन अनुमति प्राप्त करने हेतु उनके परिसर में चार्जिंग स्टेशन का होना अनिवार्य होगा।
- 3.4.6** इस संदर्भ में ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर विशेष विद्युत टैरिफ नीति प्रख्यापित करनी होगी। नॉन पीक आवर्स (Non-peak hours) में ईवी को सरस्ती दर पर विद्युत

उपलब्ध कराने हेतु टाइम—ऑफ—डे (Time of day) विद्युत विक्रय की दर को माना जाएगा।

प्रदेश सरकार ईवी बैटरियों के निरसारण हेतु एक रणनीति विकसित करेगी तथा बैटरी निरसारण में सलान कम्पनियों को बढ़ावा देगी।

3.5 ईंधन (फ्यूल) आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास—चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य परिवहन प्रणाली को प्रदूषण—मुक्त करना है, अतः विद्युत के पारंपरिक ग्रोतों अथवा प्रदूषण युक्त बैटरी पर ईवी की निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है। एक रथायी दृष्टिकोण के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।

इसलिए इलेक्ट्रिक हाईब्रिड कारों के लिए संक्रमण चरण में प्रदेश सरकार द्वारा मेथानॉल फ्यूल सेल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। लिथियम बैटरी के खंतरों को दूर करने हेतु प्रदेश सरकार का हाईड्रोजन संचालित फ्यूल सेल तथा सौर—ऊर्जा वाले सेल्स के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देगी। निजी विकासकर्ताओं को हाईड्रोजन रस्तेशानों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रोटोगेनिकी को अपनाने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी इकाइयों/यूनिट्स (ईबीयूज) तथा सेवा प्रदाता इकाइयों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

3.6 बैटरी पुनरावर्तन (रिसाइकिलिंग) पारिस्थितिकी तंत्र—ईवी मोबिलिटी में विस्तार से बैटरी रिसाइकिलिंग क्षेत्र में निश्चित रूप से विस्तार होगा। प्रदेश सरकार इस नीति के माध्यम से इलेक्ट्रिक कार बैटरियों के उत्पादन से प्रारम्भ कर निरसारण तक प्रबन्धन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करेगी। इससे बैटरी की उपयोगी अवधि के अंत तक तथा उसके उत्पादन के दौरान हानिकारक तत्वों को अपशिष्ट धारा में प्रवेश नहीं हो सकेगा। इसलिए यह नीति गलाने(Smelting), प्रत्यक्ष पुनर्प्राप्ति अथवा मध्यवर्ती प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाली बैटरी रिसाइकिलिंग इकाइयों को प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश सरकार राज्य में ईवी

निर्माताओं को रिसाइविलंग सर्विस आउटलेट स्थापित करने तथा क्षेत्रीय रिसाइविलंग सिस्टम बनाने के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों तथा स्कैप व्यापारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

- 3.7 अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)**—इवी प्रौद्योगिकी अभी परिपक्वता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, अतः राज्य में कम लागत वाली तकनीक, स्मार्ट डिजाइन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा-जगत, उद्योग तथा अन्य हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इस नीति का आशय बैटरी प्रौद्योगिकी, चार्जिंग हेतु अवरधारणा सुविधाओं के विकास तथा प्रामाणीकरण एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना है। राज्य में इवी में खच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी के विकास पर आधारित अनुसंधान एवं विकास के पारिस्थितिकी तन्त्र को बढ़ावा दिया जायेगा।
- 3.8 स्टार्ट-अप एवं नवाचार (Innovation)**—उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में इवी मैन्युफैक्चरिंग तथा सुरक्षात प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप एवं नवाचार पर छल दिया जायेगा। अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अथवा ईवी पर प्रगतिशील बिजनेस मॉडल्स को सहायता प्रदान करने वाले इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संदर्भ में रस्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए तत्त्वमय प्रयत्नित उ. प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत स्थापित की गई निधि का उपयोग किया जायेगा।

- स्टार्ट-अप एवं नवाचार (Innovation)**—उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में इवी मैन्युफैक्चरिंग तथा सुरक्षात प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप एवं नवाचार पर छल दिया जायेगा। अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अथवा ईवी पर प्रगतिशील बिजनेस मॉडल्स को सहायता प्रदान करने वाले इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संदर्भ में रस्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए तत्त्वमय प्रयत्नित उ. प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत स्थापित की गई निधि का उपयोग किया जायेगा।

4. वित्तीय प्रोत्साहन

- 4.1 इलेक्ट्रिक वाहन व बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों (ईवीएमयू. व ईबीयू) हेतु—**

- 4.1.1 भूमि उपादान**—इस नीति में परिभाषित मेंगा एकर परियोजनाओं तथा अल्ट्रा मेंगा बैटरी संयंत्रों को भूमि के सक्रिय रेट अथवा क्रय मूल्य, जो भी न्यून हो, के 25 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रोत्साहन केवल

उत्तर प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि क्रय करने पर ही प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत की जाएगी।

4.1.2 इस नीति में परिभाषित वृहद् एंकर ईवीएमयू/ईबीयू तथा एमएसएमसई इकाइयों को उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 में प्राविधानित प्रोत्साहनों के समान ही प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इनमें पूंजीगत ब्याज उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, औद्योगिक गुणवत्ता उपादान, स्टॉम्प ड्यूटी एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट, राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति आदि सम्मिलित हैं।

4.1.3 वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन मोबिलिटी हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण—इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतु वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन स्रोतों, यथा— हाईड्रोजन आधारित पर्यूल सेल्स अथवा मेथानॉल / बायोफ्यूल आधारित पर्यूल सेल्स अथवा सौर ऊर्जा आधारित सेल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली ईबीयूज को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग प्रदान किया जाएगा—

4.1.3.1 मेगा एंकर परियोजना द्वारा उनकी विक्रेता (वेण्डर)
इकाइयों (प्रथम) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो समान क्लस्टर में प्रति वेण्डर इकाई अधिकतम रु.50 लाख होगी।

4.1.3.2 एंकर ईबीयूज द्वारा उनकी प्रथम पाँच विक्रेता (वेण्डर)
इकाइयों (प्रथम) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 100 प्रतिशत तथा अनुवर्ती (प्रथम पाँच वेण्डर इकाइयों के बाद वाली) पाँच इकाइयों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो समान क्लस्टर में प्रति वेण्डर इकाई अधिकतम रु.50 लाख होगी।

4.1.3.3 अल्ट्रा मेगा बैटरी संयंत्र को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत का 50 प्रतिशत् वार्षिक रु. 10 लाख की उच्चतम सीमा तथा कुल रु. 50 लाख की अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस नीति की अवधि में इस प्रकार की केवल पाँच परियोजनाओं को इस प्रोत्साहन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

नोट 1: ये प्रोत्साहन पात्र इकाइयों को तभी अनुमन्य होंगे जब वे परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रोटोटाइप पर सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगी।

4.2 सेवा इकाइयों को प्रोत्साहन—

इस नीति में परिभाषित सेवा इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे—

4.2.1 प्रथम 1000 चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने में जो पूंजीगत व्यय होगा (भूमि में व्यय धनराशि को छोड़कर) उसका 25 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह धनराशि प्रति चार्जिंग स्टेशन से रु0 6.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

4.2.2 हाईड्रोजन इनेबल्ड रिफ्यूलिंग अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु— हाईड्रोजन जेनरेशन एवं रिफ्यूलिंग संयंत्रों की उत्तर प्रदेश में प्रथम 10 इकाइयों की स्थापना पर स्थिर पूंजीगत निवेश (भूमि की लागत को छोड़ कर) पर 50 प्रतिशत पूंजीगत ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में इस नीति की अवधि में रु. 50 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम समग्र सीमा के अधीन प्रदान किया जाएगा।

4.3 पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन—

स्थाई रूप से हरित उत्पादन विधियों को अंगीकृत करने हेतु वृहद् एकर ईवीएमयूज / ईबीयूज तथा सेवा इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे—

4.3.1 अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना—वृहद्, एंकर ईवीएमयूज / ईबीयूज द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु लिये गए ऋण पर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत् 5 वर्षों तक प्रति इकाई प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम रु. 1 करोड़ की सीमा के अधीन उपादान प्रदान किया जाएगा।

4.3.2 बैटरी पुनरावर्तन (रिसाइकिलिंग) हेतु—वृहद्, एंकर ईवीएमयूज / ईबीयूज तथा सेवा इकाइयों द्वारा बैटरी पुनरावर्तन (रिसाइकिलिंग) हेतु उपकरण / मशीनरी की अधिप्राप्ति हेतु लिये गए ऋण पर 50 प्रतिशत् प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों तक रु. 1 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में पूंजीगत ब्याज उपादान प्रदान किया जाएगा।

5. निजी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पार्क

उत्तर प्रदेश सरकार प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं से युक्त निजी ईवी पार्कों एवं क्लस्टर्स के विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस प्रकार का पार्क 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित किया जाना चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित सुविधाएं सम्मिलित होनी चाहिए—

- मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र (घटक, उप-घटक, सब-असेंबली आदि)
- अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) तथा परीक्षण केन्द्र
- बैटरी मैन्युफैक्चरिंग / प्रबन्धन क्षेत्र
- सार्वजनिक सुविधाएं
- पुनरावर्तन पारिस्थितिकी तंत्र (रिसाइकिलिंग इकोसिस्टम), अपशिष्ट उपचार सुविधाएं आदि।

इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 में निजी औद्योगिक पार्क एवं आस्थानों हेतु निर्दिष्ट प्रोत्साहनों के समान ही निजी ईवी पार्कों एवं क्लस्टर्स को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

6. अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

इस नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को न केवल हरित ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है, अपितु अगली पीढ़ी की बैटरी प्रबंधन प्रणाली, ड्राइव ट्रेन घटकों, बैटरी केमिस्ट्री, फ्यूल सेल सिस्टम तथा प्रज्ञ (Intelligent)परिवहन प्रणालियों पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास का हब बनाना भी है। इस उद्देश्य से निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे—

- 6.1 इन्क्यूबेशन एवं स्टार्ट-अप्स—ईवी मोबिलिटी** अथवा अभिनव ईएम मॉडल्स को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केन्द्रों को तत्समय प्रचलित उ. प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत निर्धारित प्रोत्साहनों के समान ही प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। तत्समय प्रचलित उ. प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अधीन सृजित स्टार्ट-अप फण्ड को भी राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयुक्त किया जाएगा।
- 6.2 शैक्षिक सहयोग एवं अनुसंधान**—उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में शैक्षणिक व अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता से युक्त (स्वदेशी व विदेशी) विश्वविद्यालयों को प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों से सहयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी। इसके अन्तर्गत अगली पीढ़ी की बैटरी केमिस्ट्री, फ्यूल सेल सिस्टम, पावरट्रेन, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल रोड सिस्टम (ईआरएस) पर फोकस होगा।
- पेटेण्ट एवं गुणवत्ता प्रमाणन**—इस नीति में परिभाषित एमएसएमई इकाइयों को पेटेण्ट पंजीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन के लिए किए गए व्यय के सापेक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता पेटेण्ट पंजीकरण प्राप्त करने हेतु व्यय के 75 प्रतिशत् तथा अधिकतम रु. 25 लाख की राशि तक सीमित होगी एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु भुगतान किए गए समरत शुल्कों के 50 प्रतिशत् तथा अधिकतम रु. 5 लाख तक सीमित होगी।

6.4 परीक्षण सुविधाएं—उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु गुणवत्तापूर्ण परीक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास करेगी। यह सुविधाएं समस्त मैन्युफैक्चरर्स तथा सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध होंगी।

नोट 2: इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित पात्र ईवीएमयू, ईबीयू एवं सेवा इकाईयों को अनुमन्य प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट इत्यादि के रूप में समस्त प्रोत्साहन स्थिर पूजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत के अधीन होंगे तथा स्थिर पूजी निवेश के 20 प्रतिशत की अधिकतम वार्षिक सीमा के अधीन होंगे।

7. ईवी मोबिलिटी प्रोत्साहन—

प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु मांग अभिप्रेरण तथा बाजार के सृजन के उद्देश्य से उ. प्र. सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी—

7.1 इस नीति की अवधि में उत्तर प्रदेश में निजी रूप से विनिर्मित प्रथम 1 लाख क्रेताओं को निम्नवर्णित छूट मिलगी—

7.1.1 वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।

7.1.2 टू—व्हीलर ईवीज को रोड—टैक्स में 100 प्रतिशत तथा अन्य ईवीज को रोड—टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट।

7.2 भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा ईवी इलेक्ट्रिक वाहन एवं ईवी मोबिलिटी प्रोत्साहन को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा भी अंगीकृत किया जायेगा।

8. व्यवसाय में सहजता (ईज ऑफ डूर्झग बिज़नेस)

प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति—2017 के समान इस नीति में भी ईज ऑफ डूर्झग बिज़नेस को सुनिश्चित किया गया है।

8.1 सिंगल विण्डो— ईवी मैन्युफैक्चरिंग / ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों एवं सेवा प्रदाताओं को राज्य की सिंगल विण्डो प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक स्वीकृतियों को प्रदान किया जायेगा। इस प्रणाली का अनुश्रवण सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है।

- 8.2 प्रोत्साहनों का एकमुश्त भुगतान—** इस नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, उपादान, इत्यादि के रूप में समर्त प्रोत्साहनों का भुगतान एक ही स्वीकृति आदेश से तथा नोडल संरक्षा द्वारा एकल खाता मद के अधीन किया जाएगा।
- 8.3 प्रक्रियाओं का सरलीकरण—** इस नीति में स्वः प्रमाणन, तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणन एवं मानित (डीम्ड) अनुमोदन के माध्यम से विद्यमान नियामक व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाते हुए प्रक्रियाओं का सरलीकरण सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार नियमित रूप से औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/ अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंसों तथा यथासंभव समर्त संबंधित विद्यमान अधिनियमों, नियमों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी।
- 8.4 गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति—**उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्राविधानों के अनुसार ईवी/ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को 24X7 विश्वसनीय, गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- 8.5 विद्युत से संबंधित अनुमतियां—**विद्युत वितरण कम्पनियां (डिस्कॉम्स) आवेदन के 15 दिनों के भीतर चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को आपूर्ति प्रारम्भ कर देंगी। चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु नगर निकाय तत्काल अस्थायी अनुमतियां ऑनलाइन जारी करेंगे। किसी भी प्रकार का सत्यापन केवल अस्थायी अनुमति की स्वीकृति के पश्चात् किया जाएगा।
- 8.6 औद्योगिक सुरक्षा—**उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सुरक्षित एवं भयंकर औद्योगिक वातावरण प्रदान करेगी। इस हेतु विशेष अधिकारी की अध्यक्षता में समर्पित पुलिस बल को औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा तथा एकीकृत पुलिस-सह-अग्निशमन स्टेशन स्थापित किये जाएंगे।

9. नीति का क्रियान्वयन

- 9.1 यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जायेगी तथा 05 वर्ष की अवधि हेतु लागू रहेगी।
- 9.2 यदि किसी दशा में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे नीति में किसी भी संशोधन या अतिक्रमण की आवश्यकता होती है, तो केवल मा. मंत्रि-परिषद् इस प्रकार के संशोधन/अतिक्रमण के अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी।
- 9.3 इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी भी इकाई को प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है, तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा, इकाई लाभ की पात्र बनी रहेगी।

नोट 3: किसी भी अन्य नीति अथवा राज्य सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली समस्त ईवीएमयूज़, ईबीयूज़, सेवा इकाईयां तथा संबंधित एमएसएमई इकाईयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों का लाभ उठाने के पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।
